

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 32/2024-25 तारीख दायर :-11.07.2024 दिनांक निर्णय :-21.11.2024

पटवारी हल्का नाथलवाड़ा जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

JCM-3/2024/18

घम्मन पुत्र कजोड़ जाति मीना निवासी नारायणपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान

भू0 राजस्व अधिनियम-1956


आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का नाथलवाड़ा द्वारा राजस्व ग्राम नाथलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 0.04 हेक्ट0 किस्म चाही-1 के भाग 0.005 हेक्ट0 पर बाड़ लगाकर अतिक्रमण करने पर घम्मन पुत्र कजोड़ जाति मीना निवासी नारायणपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिपूर्वक होकर प्राप्त हुई। गैरसायल/ अप्रार्थी बावजूद तामिल के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी की विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी को नाथलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 0.04 हेक्ट0 के भाग 0.005 हेक्ट0 पर राजकीय सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कायम रखने की मंशा प्रतित होती है। भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का नाथलवाड़ा की रिपोर्ट सम्वत 2081 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम नाथलवाड़ा की सिवायचक भूमि पर किये गये अतिक्रमण की पुष्टि होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।


अतः आदेश है कि:-

अतिक्रमी घम्मन पुत्र कजोड़ जाति मीना निवासी नारायणपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम नाथलवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 71 रकबा 0.04 हेक्ट0 किस्म चाही-1 के भाग 0.005 हेक्ट0 से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.00 की 50 गुणा में मु0 50.00/-रुपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु भू0अ0निरीक्षक राजपुरबड़ा व पटवारी हल्का नाथलवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि मौके से भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 21.11.2024 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

रा. ले. रा. 4 वर्ष. 2024-25
के पृष्ठ संख्या. 74 पर सि. चि. नं. 50/-
राशि कायम किये गये।


त. रा. लेखाकार


(वी.पी.सिंह नरुका)
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)